

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

!! अधिसूचना !!

सदिका संख्या--13/नि0वि0(महिला शुल्क विमुक्ति)--13/2017--

रांची, दिनांक--

निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड द्वारा महिलाओं के पक्ष में निष्पादित पचास लाख (50/- लाख) रूपये मूल्य तक के विक्रय विलेखों पर अनुच्छेद 'क' के अधीन निबंधन शुल्क में निम्नांकित शर्तों के साथ पूर्ण विमुक्ति दी जाती है:-

(1) (i) जब समस्त क्रेता महिला हों।

(ii) इस छूट का लाभ महिलाओं को मात्र एक दस्तावेज के निबंधन पर ही प्रदान किया जाएगा। अर्थात् यदि महिला द्वारा दूसरा दस्तावेज निबंधित कराया जाता है, तो उसपर किसी प्रकार की विमुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

(iii) यदि दस्तावेज का मूल्य पचास लाख (50/- लाख) रूपये से अधिक होगा तो पचास लाख रूपये तक के मूल्य पर ही छूट प्रदान की जाएगी तथा पचास लाख से अधिक मूल्य पर तीन (3%) प्रतिशत निबंधन शुल्क प्रभार्य होगा। यदि क्रेताओं की संख्या एक से अधिक होगी तो यह छूट तभी दी जा सकेगी जब सभी क्रेता महिलाएँ हों।

(iv) इस छूट हेतु संबंधित क्रेता महिला को यह शपथ-पत्र देना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में इस छूट का उपभोग नहीं किया गया है।

(2) इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या-1396 दिनांक-12.11.2015 को विलोपित किया जाता है।

(3) यह प्रावधान अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कमल किशोर सोन)

सरकार के सचिव

ज्ञापक:-.....

रांची, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-.....500/A

रांची, दिनांक:-...11-6-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के सचिव / अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग / प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी जिला अवर निबंधक / सभी अवर निबंधक / महाप्रबंधक, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, झारखण्ड / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव